



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102021-230386
CG-DL-E-12102021-230386

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3882]
No. 3882]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 12, 2021/ आश्विन 20, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 12, 2021/ ASVINA 20, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4229(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2852 दिनांक 16 जुलाई, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले में NH167 के कि.मी. 88.000 से कि.मी.114.425 (रेवेन्यू डिवीज़न ऑफिस देवराकोण्डा) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "19 अगस्त, 2021" को "नमस्ते तेलंगाना"(तेलुगु) और "द हिन्दू"(अंग्रेजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले में NH-167 के कि.मी. 88.000 से कि.मी.114.425 (रेवेन्यु डिवीज़न ऑफिस देवराकोण्डा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना		जिले का नाम: नलगोंडा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: देवराकोण्डा				
	गांव का नाम: देवरा कोंडा				
1	339	निजी(पट्टा)	सूखा (वाणिज्यिक)	0.252929	मोहम्मदिन अभियांत्रिकी महाविद्यालय ()
	तालुक का नाम: कोंडामल्ला-पल्ली				
	गांव का नाम: गाज़ीनगर				
1	371	निजी(पट्टा)	सूखा (वाणिज्यिक)	0.131523	चेरीपल्ली विनय कुमार सन आफ अंतैया ()
2	48	निजी(पट्टा)	सूखा (वाणिज्यिक)	0.343983	जाला नरसिम्हा रेड्डी सन आफ स्वर्गीय वेंकट रेड्डी ()
3	49	निजी(पट्टा)	सूखा (वाणिज्यिक)	0.14164	जाला नरसिम्हा रेड्डी सन आफ स्वर्गीय वेंकट रेड्डी ()
			कुल	0.870075	

[F.No. RW/NH-12011/08/2017-TS/P-7/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2021

S.O. 4229(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 2852 dated on 16th July, 2021**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in

the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH167 on the stretch of land from Km 88.000 to Km 114.425 (Revenue Division Office Devarakonda) in the district of NALGONDA in the state of TELANGANA

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Namaste Telangana*”(Telugu) and “*The Hindu*”(English) both dated 19-08-2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-167 in the stretch of land from 88.000 To Km 114.425 (Revenue Division Office Devarakonda) in the district of NALGONDA in the state of TELANGANA.

State: TELANGANA			District: NALGONDA		
S. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
Taluk: Devarakonda					
Village: Devara Konda					
1	339	Private(Patta)	Dry (Commercial)	0.252929	Mohammadeen Engineering College
Taluk: Kondamalla-palle					
Village: Gazinagar					
1	371	Private(Patta)	Dry (Commercial)	0.131523	Cheripally Vinay Kumar Son of Anthaiah
2	48	Private(Patta)	Dry (Commercial)	0.343983	Jala Narshimha Reddy Son of Late Venkat Reddy
3	49	Private(Patta)	Dry (Commercial)	0.14164	Jala Narshimha Reddy Son of Late Venkat Reddy
TOTAL				0.870075	

[F. No. **RW/NH-12011/08/2017-TS/P-7/3D**]

RAJESH GUPTA, Director